

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Service Appeal No.- 27 /2024

Ehtashamul Haq Appeal.

Versus

The State of Bihar & Ors. Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	26.9.26	<u>आदेश</u> प्रस्तुत सेवा अपील वाद जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक-587/स्था0, दिनांक-13.03.2014 के विरुद्ध दायर किया गया है। मामले का सारांश यह है कि :- • मो0 एहतशामुल हक, निलंबित लिपिक, प्रखंड कार्यालय, जलालगढ़ के विरुद्ध उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए जलालगढ़ प्रखंड नजारत का प्रभार नहीं लेने, सरकारी कार्यों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही बरतने संबंधी आरोपों पर विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। • संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पूर्णिया ने जाँचोपरांत आरोप प्रमाणित पाया। • आरोप का मुख्य बिन्दु यह है कि जलालगढ़ प्रखंड में कार्यरत नाजीर के दिनांक-31.01.2013 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप नजारत का प्रभार लेने हेतु आरोपी कर्मी को निदेशित किया गया था। नोडल पदाधिकारी, जलालगढ़ द्वारा भी प्रखंड नजारत का प्रभार लेने का आदेश दिया गया, किन्तु आरोपी कर्मी ने वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए नजारत का प्रभार नहीं लिया, फलतः प्रखंड नजारत का कार्य अवरुद्ध हो गया। • संचालन पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि प्रखंड नजारत प्रशाखा का प्रभार दिये जाने हेतु आदेश के आलोक में आरोपी से पूछे गये स्पष्टीकरण के संबंध में प्रभार नहीं लेने हेतु आरोपी द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए नजारत का कार्य से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया, किन्तु उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य यह था कि सेवानिवृत्त कर्मी के बाद श्री एहतशामुल हक वरीय लिपिक हैं, जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष हो चुकी है। वरीयता के दृष्टि से श्री हक को प्रखंड नजारत का प्रभार लिया जाना है, जिसके दृष्टिगत तत्कालीन नाजीर के सेवानिवृत्ति के पश्चात आरोपी कर्मी को नजारत का प्रभार लेने हेतु आदेश दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना करते हुए प्रखंड नजारत का प्रभार ग्रहण नहीं किया गया। उक्त परिस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा नजारत का प्रभार नवनियुक्त लिपिक	



१५

श्री कृष्णवल्लभ यादव को दिया गया। आदेश की अवहेलना और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत श्री यादव को प्रभार ग्रहण कराने में कार्यालय का कार्य बाधित हुआ। आरोपी कर्मी श्री हक के द्वारा अपने नियंत्री पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं करना तथा मनमाने ढंग से कार्य करना पदीय गरिमा के प्रतिकूल है। आरोपी का उक्त आचरण बिहार आचार नियमावली 1976 की कंडिका 3 की उपकंडिका (1), (2), (3) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

- आरोपी कर्मी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा लिखित में जवाब दिया गया था कि नवनियुक्त एवं लेखा उत्तीर्ण नहीं रहने के तथा नजारत संबंधी कार्यों की जानकारी नहीं रहने के कारण प्रखंड नजारत जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन में उत्पन्न होने वाले कठिनाई के दृष्टिगत किसी अन्य लिपिक को प्रखंड नजारत जलालगढ़ का प्रभार दिया जाय। दिनांक-01.02.2013 एवं 23.02.2013 को उनके द्वारा अभ्यावेदन दिया गया कि प्रखंड नजारत का प्रभार किसी अन्य अनुभवी जानकार लिपिक को दिया जाय, जिसके आलोक में ही श्री कृष्णवल्लभ यादव, लिपिक को प्रखंड नजारत जलालगढ़ का प्रभार दिलाया गया था। इस प्रकार उनकी ओर से वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना नहीं की गयी।
- अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा आरोपी कर्मी से प्राप्त स्पष्टीकरण, उपलब्ध कराये गये साक्ष्य एवं उपस्थापन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विवेचना करते हुए यह उल्लेखित किया गया कि आरोपी कर्मी श्री एहतशामुल हक लगभग 10 वर्षों से कार्यरत थे, जबकि श्री यादव 01 वर्ष से लिपिक के पद पर कार्यरत थे। लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना लिपिक की जिम्मेवारी होती है न कि नियंत्री पदाधिकारी की। आरोपी कर्मी की सेवा 10 वर्ष की होने एवं वरीयतम होने के कारण उन्हें बार-बार नजारत का प्रभार लेने का आदेश दिया गया। साथ ही नोडल पदाधिकारी, जलालगढ़ द्वारा भी आरोपी कर्मी को नजारत का प्रभार देने का आदेश दिया गया, किन्तु आरोपी कर्मी द्वारा मनमाने ढंग से उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए जलालगढ़ प्रखंड नजारत का प्रभार नहीं लिया गया। फलतः जलालगढ़ प्रखंड नजारत का कार्य काफी लंबी अवधि तक बाधित रहा। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी का द्वितीय कारण पृच्छा असंतोषप्रद एवं भ्रामक पाया गया, जिसके आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 संशोधित 2007 के नियम-14 में उल्लिखित शास्तियों के आलोक में जान-बूझकर मनमाने ढंग से उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए जलालगढ़ प्रखंड नजारत का प्रभार नहीं लेने, सरकारी कार्यों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही बरतने संबंधी आरोपों के कारण मो० एहतशामुल हक, निलंबित लिपिक, प्रखंड कार्यालय, जलालगढ़ को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किए गये :-



De

1. कालमान वेतन के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति।
2. इन्हें न्यूनतम प्रक्रम पर वेतन वृद्धियाँ देय होगा।
3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।
4. निलंबन अवधि सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी।

आवेदक का कथन है कि :-

- प्रखंड विकास पदाधिकारी, जलालगढ़ का पत्रांक-84, दिनांक-30.01.2013 एवं पत्रांक-182 दिनांक-22.02.2013 द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में अपीलार्थी द्वारा क्रमशः दिनांक-01.02.2013 एवं 23.02.2013 को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए आवेदन समर्पित किया गया था। आवेदन में उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि नव नियुक्त एवं लेखा उत्तीर्ण नहीं रहने तथा नजारत संबंधी कार्यों की जानकारी नहीं रहने के कारण प्रखंड नजारत जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य जानकार एवं अनुभवी लिपिक को कार्य संपादित करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध किया गया था।
- आवेदन में उनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रखंड नजारत का कार्य वित्तीय स्तर पर वृहत पैमाने का होता है, जिसका निष्पादन करने में वित्तीय अनियमितता का संदेह बना रहेगा, साथ ही Accounts संबंधित प्रशिक्षण भी उन्हें प्राप्त नहीं है।

समर्पित दस्तावेजों की सूची :-

- प्रखंड विकास पदाधिकारी, जलालगढ़ का पत्रांक-84, दिनांक-30.01.2013 एवं पत्रांक-182 दिनांक-22.02.2013 की छायाप्रति।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी, जलालगढ़ को दिनांक-01.02.2013 एवं 23.02.2013 को प्रेषित आवेदन की छायाप्रति।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी, जलालगढ़ का पत्रांक-154, दिनांक-19.02.2013 की छायाप्रति।
- द्वितीय कारण पृच्छा एवं स्पष्टीकरण के आलोक में समर्पित जवाब की छायाप्रति।
- संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, पूर्णिया को प्रेषित आवेदन की छायाप्रति।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक मो० एहतशामुल हक, निलंबित लिपिक, प्रखंड कार्यालय, जलालगढ़ के विरुद्ध उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए जलालगढ़ प्रखंड नजारत का प्रभार नहीं लेने, सरकारी कार्यों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही बरतने संबंधी आरोपों पर विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। तदोपरांत आवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसमें आवेदक द्वारा स्पष्ट किया गया कि नव नियुक्त एवं लेखा उत्तीर्ण नहीं रहने तथा नजारत संबंधी कार्यों की जानकारी नहीं रहने के कारण प्रखंड नजारत जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य जानकार एवं अनुभवी लिपिक को कार्य संपादित करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध किया गया था। आवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण



Handwritten signature/initials.

को असंतोषप्रद पाते हुए जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा निम्न दंड अधिरोपित किया गया -

1. कालमान वेतन के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति।
2. इन्हें न्यूनतम प्रक्रम पर वेतन वृद्धियाँ देय होगा।
3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा एवं निलंबन अवधि सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी।

उक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि जिला पदाधिकारी द्वारा आवेदक को दिये गये दंड उनके उपर लगाये आरोप के Proportionate नहीं है इसलिए इसे निरस्त करते हुए निम्न दंड अधिरोपित किया जाता है -

1. असंचयात्मक प्रभाव से 02 वेतन वृद्धि पर रोक।
2. निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन देय होगा।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रस्तुत अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR सहित निम्न न्यायालय को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।


आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।


आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

